डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
फोन नं0–0522–6692000, 6692001

पत्र सं0–302 / डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0 / वित्त एवं लेखा / 2025 दिनांक–20 अगस्त, 2025

सेवा मे

निदेशक / सदस्य सचिव–शासी निकाय
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान
गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक–06.08.2025 के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया अवगत कराना है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम–2015 की धारा–22(2) में प्राविधान किया गया है कि – "वित्त समिति बोर्ड को, संस्थान की परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन तथा विभिन्न निधियों से होने वाले आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों से सम्बन्धित विषयों पर आगामी वित्तीय वर्ष में संस्थान की आय तथा संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में सैद्धान्तिक सीमाओं के अनुरूप परामर्श देगा।"

अतएव वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक–06.08.2025 का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि वित्त समिति के इस कार्यवृत्त को संस्थान की शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर शासी निकाय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–कार्यवृत्त की छायाप्रति।

भवदीया

(रागिनी सिंह)
वित्त अधिकारी

डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस, गोमती नगर, लखनऊ की वित्त समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 06.08.2025 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः–सभागार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ

बैठक में भाग लेने वाले अधिकारीगणः–

नाम व पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	अध्यक्ष
प्रो0 डा0 सी0एम0 सिंह, निदेशक, डा0 रा.म.लो.आ.सं.,लखनऊ।	सदस्य
श्री शैलेष गिरि, वित्त नियंत्रक, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
प्रो0 विक्रम सिंह मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा0रा.म.लो.आ.सं.,लखनऊ।	सदस्य
श्रीमती रागिनी सिंह वित्त अधिकारी, डा0 रा.म.लो.आ.सं.,लखनऊ।	सदस्य सचिव

एजेण्डा–1

वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 26.08.2022 के कार्यवृत्त का अवलोकन तथा पुष्टि किया जानाः–

एजेण्डा	निर्णय
सोसायटी बायलाज की धारा 30(1) के अंतर्गत गठित वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 26.08.2022 का कार्यवृत्त वित्त समिति के अवलोकनार्थ तथा पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **(संलग्नक–पृष्ठ–02 से 22 पर रक्षित)**	वित्त समिति द्वारा तृतीय बैठक दिनांक–26.08.2022 के कार्यवृत्त को अवलोकित करते हुए पुष्टि की गई।

रागिनी सिंह

प्रो0 (डा0) सी0एम0 सिंह
निदेशक

एजेण्डा–2

वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 26.08.2022 के निर्णयों की अनुपालन आख्याः–

एजेण्डा				निर्णय
एजेण्डा बिन्दु	एजेण्डा	वित्त समिति का निर्णय	अनुपालन आख्या	
6	संस्थान द्वारा अर्जित आय तथा उसके सापेक्ष व्यय की अनुमति प्रदान किया जाना।	वित्त समिति द्वारा संस्थान की आय से राजस्व पक्ष के मदों पर ही व्यय करने की संस्तुति प्रदान करते हुए संस्थान की शासी निकाय से भी उक्त प्रस्ताव पर अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।	वित्त समिति के निर्णयानुसार संस्थान की शासी निकाय की 36वीं बैठक दिनांक–06.10.2022 द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए आवश्यकता पड़ने पर आउटसोर्स कर्मियों के वेतन पर भी अर्जित आय से व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई। (छायाप्रति संलग्न)	समिति द्वारा तृतीय बैठक दिनांक–26.08.2022 के निर्णयों की अनुपालन आख्या अवलोकित करते हुए अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–03 में निर्देश दिया गया कि परीक्षा विभाग में गोपनीय बैंक खाते की सम्परीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट से करा ली जाये, तदोपरान्त महालेखाकार, प्रयागराज से सम्परीक्षा दल से भी सम्परीक्षा करा ली जाये।
–	संस्थान की अनुरक्षित निधि पर प्राप्त होने वाले ब्याज का प्रयोग संस्थान के आवश्यक व्ययों पर किया जाना।	वित्त समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विस्तार से विचार किया गया तथा शासनादेश दिनांक–29 मई, 2015 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संस्थान को उपलब्ध कराई गई निधियों पर बैंक खाते में प्राप्त ब्याज की धनराशि राजकीय कोष में जमा करने का निर्देश दिया गया। वित्त समिति द्वारा संस्थान का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।	वित्त समिति के निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।	
अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–1	अनिवार्य रोटेटरी इन्टर्नशिप भत्ते का भुगतान अनुमन्य किया जाना।	वित्त समिति द्वारा अनिवार्य रोटेटरी इन्टर्नशिप भत्ते का भुगतान अनुदान सं0–31 मद सं0–20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद से किये जाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की गई।	वित्त समिति के निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।	
अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–2	संस्थान में सम्पादित होने वाले विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षकों / फैकल्टी / अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय मानदेय का निर्धारण किया जाना।	परीक्षा कार्यों से सम्बन्धित प्रस्तावित पारिश्रमिक दरें वित्त समिति द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदित की गई कि प्रस्तावित दरें एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की दरों के समकक्ष ही हों।	वित्त समिति के निर्णयानुसार संस्थान की शासी निकाय की 36वीं बैठक दिनांक–06.10.2022 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	

10/अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–3	संस्थान द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के संचालन व्यय हेतु गोपनीय बैंक खाता खोले जाने के सम्बन्ध में।	उक्त प्रस्ताव पर वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए संस्तुति की गई कि गोपनीय बैंक खाते की सम्परीक्षा (आडिट) वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 02 वर्ष के उपरान्त अवश्य कराया जाये तथा यह प्रस्ताव संस्थान की शासी निकाय से भी अनुमोदित कराया जाये।	वित्त समिति के निर्णयानुसार संस्थान की शासी निकाय की 36वीं बैठक दिनांक–06.10.2022 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	

प्रस्तावः–

वित्त समिति द्वारा उपरोक्त अनुपालन आख्या का अवलोकन किया जाना प्रस्तावित है।

एजेण्डा–3

वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त राज्य सहायता (बजट) के सापेक्ष व्यय से अवगत कराया जानाः–

एजेण्डा

वित्तीय वर्ष : 2023–24 में शासन से प्राप्त राज्य सहायता (बजट) के सापेक्ष व्यय/समर्पण की सूचना निम्नवत् हैः–

(रू0 लाख में)

क.सं.	लेखा शीर्षक	बजट प्राविधान	पुनर्विनियोग धनराशि	कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृतियां	कोषागार से आहरण	उपभोग	बजट प्राविधान के सापेक्ष उपभोग का प्रतिशत	समर्पित धनराशि
1	**अनदुान सं0–31 राजस्व पक्ष** 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105–एलापैथी 03–शिक्षा 0325–डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, गोमती नगर, लखनऊ। 20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)	13000.00	853.00	13853.00	13853.00	13853.00	13853.00	**100%**	0.00
2	**अनदुान सं0–31 राजस्व पक्ष** 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105–एलापैथी 03–शिक्षा 0325–डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, गोमती नगर, लखनऊ। 31–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	27682.59	0.00	27682.59	27682.59	24200.00	24200.00	**87.42%**	3482.59

निर्णय

वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट आवण्टन तथा व्यय का अवलोकन करते हुए वित्त समिति अवगत हुई।

(डा0) सी0पी0 सिंह

3	**अनदुान सं0–31 राजस्व पक्ष** 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105–एलोपैथी 03–शिक्षा 0368–असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा 20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	**100%**	0.00
	योग–राजस्व	41682.59	853.00	42535.59	42535.59	39053.00	39053.00	**93.69%**	3482.59
4	**अनदुान सं0–31 पूंजीगत पक्ष** 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105–एलोपैथी 04–डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, गोमती नगर, लखनऊ। 26–मशीनें और सज्जा / उपकरण एवं संयंत्र	3500.00	0.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	**100%**	0.00
5	**अनदुान सं0–31 पूंजीगत पक्ष** 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105–एलोपैथी 04–डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, गोमती नगर, लखनऊ। 24–वृहत् निर्माण कार्य	8500.00	0.00	8500.00	5757.504	5757.504	5757.504	**67.74%**	2742.496
6	**अनदुान सं0–83 पूंजीगत पक्ष** 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 28–डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, गोमती नगर, लखनऊ। 24–वृहत् निर्माण कार्य	3711.75	0.00	3711.75	1530.46902	1530.46902	1530.46902	**41.23%**	2181.28098
	योग–पूंजीगत	15711.75	0.0	15711.75	10787.97302	10787.97302	10787.97302	**68.66%**	4923.77698
	महायोग–राजस्व+पूंजीगत	57394.34	853	58247.34	53323.56302	49840.97302	49840.97302	**86.84%**	8406.36698

प्रस्तावः–

वित्त समिति द्वारा उपरोक्त विवरण से अवगत होना चाहें।

सागिनी सिंह

डा० (डा०) सी०एम० सिंह
निदेशक

एजेण्डा–4

वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त राज्य सहायता (बजट) के सापेक्ष व्यय से अवगत कराया जानाः–

एजेण्डा

वित्तीय वर्ष : 2024–25 में शासन से प्राप्त राज्य सहायता (बजट) के सापेक्ष व्यय/समर्पण की सूचना निम्नवत् हैः– (रू0 लाख में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	बजट प्राविधान	अनुपूरक बजट प्राविधान	कुल बजट प्राविधान	जारी स्वीकृतियां	कोषागार से आहरण	उपभोग	बजट प्राविधान के सापेक्ष उपभोग का प्रतिशत	बचत/समर्पित धनराशि
1	**अनदान सं0–31 राजस्व पक्ष** 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 105–एलोपैथी, 03–शिक्षा, 0325–डा0रा0म0लो0आ0सं0, गोमती नगर, लखनऊ।, 20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)	20000.00	2000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	**100%**	0.00
2	**अनदान सं0–31 राजस्व पक्ष** 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 105–एलोपैथी, 03–शिक्षा 0325– डा0रा0म0लो0आ0सं0, गोमती नगर, लखनऊ। 31–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	30000.00	0.00	30000.00	30000.00	29500.00	29500.00	**98.33%**	500.00
3	**अनदान सं0–31 राजस्व पक्ष** 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 105–एलोपैथी, 03–शिक्षा 0368–असाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा 20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)	1002.00	0.00	1002.00	1002.00	1002.00	1002.00	**100%**	0.00
	योग–राजस्व	**51002.00**	**2000.00**	**53002.00**	**53002.00**	**52502.00**	**52502.00**	**99.06%**	**500.00**
4	**अनदान सं0–31 पूंजीगत पक्ष** 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105–एलोपैथी 04– डा0रा0म0लो0आ0सं0, गोमती नगर, लखनऊ। 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	25000.00	0.00	25000.00	25000.00	23500.00	23500.00	**94%**	1500.00
5	**अनदान सं0–31 पूंजीगत पक्ष** 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105–एलोपैथी 04– डा0रा0म0लो0आ0सं0, गोमती नगर, लखनऊ। 24–वृहत निर्माण कार्य	10000.00	0.00	10000.00	7756.82	7756.82	7756.82	**77.57%**	2243.18
6	**अनदान सं0–83 पूंजीगत पक्ष** 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 28– डा0रा0म0लो0आ0सं0, गोमती नगर, लखनऊ। 24–वृहत निर्माण कार्य	3800.00	0.00	3800.00	2041.00	2041.00	2041.00	**53.71%**	1759.00
	योग–पूंजीगत	**38800.00**	**0.00**	**38800.00**	**34797.82**	**33297.82**	**33297.82**	**85.82%**	**5502.18**
	महायोग–राजस्व+पूंजीगत	**89802.00**	**2000.00**	**91802.00**	**87799.82**	**85799.82**	**85799.82**	**93.46%**	**6002.18**

प्रस्तावः–

वित्त समिति द्वारा उपरोक्त विवरण से अवगत होना चाहें।

(शैलेश मिश्रा)
वित्त एवं लेखाधिकारी

प्रो0 (डा0) सी0एम0 सिंह
निदेशक

निर्णय

वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट आवण्टन तथा व्यय का अवलोकन करते हुए वित्त समिति अवगत हुई।

एजेण्डा–5

वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्राविधानित राज्य सहायता (बजट) पारित किया जाना :–

एजेण्डा	निर्णय
पूँजीगत मद	समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए आवण्टित बजट धनराशियों का अवलोकन किया गया तथा नियमानुसार व्यय के निर्देश दिये गये।

(रू0 लाख में)

लेखाशीर्ष	वास्तविक आकड़े 2023–24	वास्तविक आकड़े 2024–25	संस्थान द्वारा प्रस्तावित अनुमान 2025–26	शासन द्वारा प्राविधानित बजट अनुदान 2025–26
अनुदान संख्या–31 26–मशीनें सज्जा एवं उपकरण/सयंत्र	3500.00	25000.00	35700.00	25000.00
अनुदान संख्या–31 24–वृहद निर्माण कार्य	5757.50	7756.82	35455.50	15000.00
अनुदान संख्या–83 24–वृहद निर्माण कार्य	1530.47	2041.00	9544.50	4000.00
योग–	**10787.97**	**34797.82**	**80700.00**	**44000.00**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट आवंटन के सापेक्ष व्यय के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ:–

1. **26–मशीनें सज्जा एवं उपकरण/सयंत्र** :– इस मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष संस्थान के चिकित्सकीय विभागों से चिकित्सा उपकरणों का मांग पत्र प्राप्त कर संकलित करते हुए शासन के अनुमोदनोपरान्त निविदा के माध्यम से क्रय किया जायेगा। ***(उपकरणों की सूची की स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश सं0–64/2025/I/1022027/2025/001/71–2099/935/2021 दिनांक–11.07.2025 की छायाप्रति संलग्न है।)***

2. **अनुदान सं0–31, 24–वृहद निर्माण कार्य**:– चालू कार्यों में व्यय के सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं द्वारा धनराशि की मांग तथा नये कार्यों के सापेक्ष शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय किया जायेगा। ***(निर्माण से सम्बन्धित कार्ययोजना सम्बन्धी शासनादेश सं0–I/1038888/2025/71–2099/223/2023 दिनांक–28.07.2025 की छायाप्रति संलग्न है।)***

3. **अनुदान सं0–83, 24–वृहद निर्माण कार्य**:– चालू कार्यों में व्यय के सापेक्ष कार्यदायी संस्थाओं द्वारा धनराशि की मांग तथा नये कार्यों के सापेक्ष शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय किया जायेगा। ***(निर्माण से सम्बन्धित कार्ययोजना सम्बन्धी शासनादेश सं0–I/1038888/2025/71–2099/223/2023 दिनांक–28.07.2025 की छायाप्रति संलग्न है।)***

(शैलेश गिरि)

(डा0) सी0एम0 सिंह
निदेशक

राजस्व मद

(रू0 लाख में)

लेखाशीर्ष	वास्तविक आकड़े 2023–24	वास्तविक आकड़े 2024–25	संस्थान द्वारा प्रस्तावित अनुमान 2025–26	शासन द्वारा प्राविधानित बजट अनुदान 2025–26
अनुदान संख्या–31 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	13853.00	22000.00	28022.00	25000.00
अनुदान संख्या–31 31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	24200.00	29500.00	45000.00	35000.00
अनुदान संख्या–31 53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	0.00	0.00	0.01	0.01
योग–	**38053.00**	**51500.00**	**73022.01**	**60000.01**

वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट आवंटन के सापेक्ष व्यय के सम्बन्ध में टिप्पणियाँः–

1. **20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)**:– इस मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष संस्थान के पूंजीगत व्ययों के अतिरिक्त राजस्व व्ययों का वहन किया जाता है। शासन द्वारा त्रैमासिक 04 किश्तों में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिससे संस्थान चिकित्सालयों/कार्यालयों के संचालन व्ययों का वहन किया जाता है।

2. **31–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)**:– शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष एकमुस्त वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाती है तथा संस्थान स्तर से प्रत्येक माह के वेतन के बराबर धनराशि राजकीय कोषागार से आहरित की जाती

3. अनुदान सं0–31, **53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)**:– इस मद में कोई व्यय प्रस्तावित नहीं है। शासन द्वारा नाशनल रू0–0.01 लाख का प्राविधान किया गया है।

प्रस्तावः–

वित्त समिति द्वारा उपरोक्त विवरण से अवगत होना चाहें।

(शैलेश कि...)
वि...
नियंत्रक

(डा0) सी0एस0 सि...
निदेशक

नागिनी सिंह
एफ0ओ0

एजेण्डा–6

वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–23 तथा 2023–24 के आर्थिक चिट्ठों (बैंलेन्श शीट्स) को अनुमोदित किया जाना :–

एजेण्डा	निर्णय
उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0–41, सन्–2018 में दिनांक–12 सितम्बर, 2018 से डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम–2015 प्रख्यापित की गई। दिनांक–12 सितम्बर, 2018 के पूर्व संस्थान सोसायटी अधिनियम–1860 के अन्तर्गत पंजीकृत था। सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2006 से 2008–09 तक आर्थिक चिट्ठे (बैलेन्श शीट) वित्त समिति की प्रथम बैठक दिनांक–25.08.2009 में पारित किये गये थे। वर्ष 2009–10 से 11.09.2018 तक सोसायटी के रूप में आर्थिक चिट्ठों (बैलेन्श शीट) को तैयार किया गया है तथा दिनांक–12.09.2018 से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक प्रख्यापित अधिनियम–2015 के रूप में आर्थिक चिट्ठों (बैलेन्श शीट) तैयार किया गया है, जो **संलग्नक** के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तावः– वित्त समिति से अनुरोध है प्रस्तुत आर्थिक चिट्ठों (बैलेन्श शीट) का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।	यह एजेण्डा वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, साथ ही सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट को भी आगामी बैठक में आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया।

एजेण्डा–7

संस्थान द्वारा अर्जित आय तथा उसके सापेक्ष व्यय से अवगत कराया जाना :–

एजेण्डा

संस्थान चिकित्सालयों, जाँच केन्द्रों से अर्जित यूजर चार्जेज, छात्रों से प्राप्त फीस तथा अन्य मदों में प्राप्त धनराशियों का विवरण निम्नवत् हैः–

(Amount in Lacs)

Balance as on 31.03.2022	Income from 01.04.2022 to 31.03.2023	Total Balance as on 31.03.2023 (1+2)	Expenditure 01.04.2022 to 31.03.2023	Balance as on 31.03.2023 (3-4)	Income from 01.04.2023 to 31.03.2024	Total Balance as on 31.03.2024 (5+6)	Expenditure from 01.04.2023 to 31.03.2024	Balance as on 31.03.2024 (7-8)	Income from 01.04.2024 to 31.03.2025	Total Balance as on 31.03.2025 (9+10)	Expenditure from 01.04.2024 to 31.03.2025	Balance as on 31.03.2025 (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1095.85	3761.29	4857.14	1288.48	3568.66	2525.88	6094.54	2932.57	3161.97	3715.54	6877.51	734.11	6143.40

वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक–26.08.2022 के एजेण्डा बिन्दु–6 में प्राप्त निर्देश तथा संस्थान की शासी निकाय की 36वीं बैठक दिनांक–06.10.2022 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में संस्थान की अर्जित आय से आवश्यकतानुसार राजस्व व्यय किये जा रहे हैं।

प्रस्तावः–

संस्थान द्वारा अपने श्रोतों से अर्जित आय तथा व्यय का अवलोकन करना चाहें।

निर्णय

समिति द्वारा संस्थान द्वारा अर्जित आय तथा व्यय का अवलोकन किया गया।

(शैलेश ...)
निबंधक

प्रो० (डा०) सी०एम० सिंह
निदेशक

रागिनी सिंह

एजेण्डा–8

संस्थान के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में यूजर चार्ज संस्थान के मुख्य परिसर स्थित चिकित्सालयों की भाँति तथा ब्लड बैंक में यूजर चार्ज SGPGI की भाँति लागू किया जानाः–

एजेण्डा	निर्णय
राम प्रकाश गुप्त मेमोरियल मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, शहीद पथ, गोमती नगर, लखनऊ के संचालन का दायित्व डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ को वर्ष–2016 में प्रदान किया गया था। चूँकि यह चिकित्सालय भवन NHM द्वारा निर्मित था तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासकीय चिकित्सालयों की भाँति मातृ एवं शिशु चिकित्सालय को संचालित करने हेतु NHM द्वारा कुछ वित्तीय सहायता भी दी जाती है। मातृ एवं शिश चिकित्सालय का संचालन संस्थान द्वारा किये जाने के कारण, संस्थान के अन्य सुपर स्पेसिलिटी चिकित्सालयों की भाँति उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा प्रदान की जा रही है। मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में संस्थान द्वारा उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा प्रदान किये जाने के कारण NHM से प्राप्त सहायता धनराशि अत्यधिक कम है, जिससे प्राप्त सहायता व वास्तविक व्यय के अन्तर की धनराशि को संस्थान के 20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद से प्रतिपूर्ति की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में NHM से लगभग रू0–106.94 लाख प्राप्त हुआ था, जबकि वास्तविक व्यय रू0–702.08 लाख था, इस प्रकार अन्तर धनराशि रू0–595.14 लाख की प्रतिपूर्ति 20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद से किया गया। इसी प्रकार संस्थान के ब्लड बैंकों में भी NHM से सहायता राशि प्राप्त होती है, जिसके सापेक्ष वास्तविक व्यय अधिक होता है। इस सम्बन्ध में कृपया अवगत होना चाहें कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में संचालित ब्लड बैंक के लिए NHM द्वारा सहायता राशि दी जाती है फिर भी एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा मरीजों से यूजर चार्ज भी लिया जाता है, जिससे उनके वास्तविक व्ययों की पूर्ति हो जाती है। संस्थान की शासी निकाय की तृतीय बैठक दिनांक–21.10.2008 के एजेण्डा बिन्दु–5 में निर्णय लिया गया था कि एस0जी0पी0जी0आई0 में लागू यूजर चार्जेस को इस संस्थान में भी लागू किया जायेगा। **(शासी निकाय का कार्यवृत्त संलग्न है।)** अतएव संस्थान द्वारा संचालित डा0 राम प्रकाश गुप्ता मेमोरियल मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, गोमती नगर, लखनऊ में संस्थान के अन्य चिकित्सालयों की भाँति यूजर चार्जेस लागू करने तथा ब्लड बैंकों में एस0जी0पी0जी0आई0 की दरों पर यूजर चार्जेस लागू करने की अनुमति प्रदान करना चाहें, जिससे शासकीय बजट पर संचालन व्यय का अतिरिक्त भार न पड़ें। प्रस्तावः– 1. डा0 राम प्रकाश गुप्ता मेमोरियल मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में संस्थान के अन्य चिकित्सालयों की भाँति यूजर चार्जेस लागू करने की अनुमति प्रदान किया जाये। 2. संस्थान के ब्लड बैंकों में SGPGI, Lucknow की भाँति यूजर चार्जेस लागू किया जाये।	प्रस्ताव–01–राम प्रकाश गुप्त मेमोरियल मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में संस्थान के अन्य चिकित्सालयों की भाँति यूजर चार्जेस लागू करने पर सहमति व्यक्त की गई तथा संस्थान की शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। प्रस्ताव–2, को अनुमोदित नहीं किया गया।

(शैलेश मिश्र)
चिकित्सा

सी0 (डा0) सी0एम0 सिंह
निदेशक

रागिनी सिंह

अतिरिक्त एजेण्डा–1

Hospital Patient Care Allowance के दर संशोधित करने के सम्बन्ध में।

एजेण्डा	निर्णय
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश सं0–1900/71–2–2019–पी0–49/2018 दिनांक– 27 अगस्त, 2019 के बिन्दु–2 में दी गई सारिणी के क्रमांक–8 पर Hospital Patient Care Allowance निम्नवत् अनुमन्य किया गया है:–	1. चूँकि संवर्ग A तथा B को Hospital Patient Care Allowance (HPCA) अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है, इसलिए शासन से अनुमति प्राप्त होने की प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया गया।

क्र0सं0	भत्ते का नाम	दर	अभ्युक्ति
1.	Hospital Patient Care Allowance	To all Group 'C' & 'D' employees @ Rs. 4100/-p.m.	At AIIMS, New Delhi it is paid up to the Grade Pay of Rs. 2800/- where as at SGPGIMS, Lucknow upto Grade Pay of Rs. 4200/- (catagorized as Group 'C' employee). Old name of this allowance is patient care allowance.

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश सं0–57/2024/I/663617/2024/71–2099/2874/2020 दिनांक–04 जुलाई, 2024 **(छायाप्रति संलग्न)** के आलोक में संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0–पी0जी0आई0/अधि0/आर0एस0डी0 सं0/208/17/भाग–3/599/2024 दिनांक–31.07.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से ग्रुप–A एवं ग्रुप–B (पैरामेडिकल) के गैर संकायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों (Except Nursing Staff) को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली के सादृष्य Hospital Patient Care Allowance शासनादेश निर्गत होने की तिथि–04 जुलाई, 2024 से अनुमन्य किया गया है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि वेतनभत्तों से सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश सं0–1900/71–2–2019–पी0–49–2018 दिनांक–27.08.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा इस संस्थान को संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के सादृष्य भत्ते प्रदान किये गये थे, जिसमें अनेक भत्तों के सम्मुख यह टिप्पणी अंकित थी, कि 50% DA हो जाने के उपरान्त भत्तों में 25% की वृद्धि कर दी जायेगी, परन्तु Hospital Patient Care Allowance के सम्मुख उक्त टिप्पणी अंकित नहीं की गई थी।

Hospital Patient Care Allowance की दर में 25% वृद्धि के सम्बन्ध में संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा कार्यालय आदेश सं0–पी0जी0आई0/अधि0/File RSD No. 208/17(Vol-V)/2025/642 दिनांक–02.07.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** जारी किया गया है, जिसके अनुसार जिन कार्मिकों को HPCA/PCA (Hospital Patient Care Allowance) अनुमन्य कराया जा रहा है, को 50% DA की बढोत्तरी के फलस्वरूप HPCA/PCA में 25% की बढ़ोत्तरी की गई है।

इसी क्रम में अवगत कराना है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0–605/गैर0शै0अधि0 एवं 50अनु0/2025 दिनांक–11.07.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** के द्वारा संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के उक्त आदेश के आधार पर Hospital Patient Care Allowance में 25% की बढ़ोत्तरी कर दी गई है।

उपरोक्त आदेशों के आलोक में इस संस्थान के ग्रुप–A तथा ग्रुप–B कार्मिकों द्वारा HPCA/PCA (Hospital Patient Care Allowance) अनुमन्य करने की मांग की जा रही है, साथ ही 25% की बढ़ोत्तरी की भी मांग की जा रही है। व्यय भार लगभग रू0– 31.00 लाख प्रति वर्ष होगा।

Hospital Patient Care Allowance का वर्तमान दर रू0–4100.00 प्रति माह के स्थान पर दिनांक–01.01.2024 से प्रति माह 25% की बढ़ोत्तरी पर रू0–5125.00 प्रति माह हो जायेगी। दिनांक–01.01.2024 से 30.06.2025 तक के लिए एरियर के रूप में लगभग रू0–10,14,750.00 की देयता होगी तथा प्रति माह बढ़ोत्तरी पर रू0–56,375.00 का व्यय भार आयेगा, जिसका वहन 31–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद से किया जा सकता है।

प्रस्ताव–1 संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0–पी0जी0आई0/अधि0/आर0एस0डी0 सं0/208/17/भाग–3/599/2024 दिनांक–31.07.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** के सादृष्य ग्रुप–A एवं ग्रुप–B (Paramedical) के गैर संकायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों (Except Nursing Staff) को दिनांक–04.07.2024 से Hospital Patient Care Allowance इस संस्थान में भी अनुमन्य कर दिया जाये।

2. संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0–पी0जी0आई0/अधि0/File RSD No. 208/17(Vol-V)/2025/642 दिनांक–02.07.2025 के आलोक में जिन कार्मिकों को Hospital Patient Care Allowance प्राप्त हो रहा है, उन्हें दिनांक–06.01.2025 से Hospital Patient Care Allowance में 25% की बढोत्तरी करने हेतु अनुमति प्रदान कर दिया जाये।

2. Hospital Patient Care Allowance के वर्तमान दर पर 25% की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में अलग से प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।

रागिनी सिंह
एस0ओ0

(शैलेश मिश्रा)

प्रो0 (डा0) सी0एम0 सिंह
निदेशक

अतिरिक्त एजेण्डा–2

संस्थान में मरीजों को भर्ती होने के उपरान्त तत्काल चिकित्सा प्रारम्भ करने हेतु एच0आर0एफ0 शुल्क का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में:–

एजेण्डा	निर्णय
कंसलटेण्ट द्वारा मरीज को भर्ती होने की सलाह देने के उपरान्त मरीज सम्बन्धित वार्ड में भर्ती होता है तथा वार्ड में उपस्थित नर्सिंग स्टाफ द्वारा नर्सिंग एसेस्मेण्ट एवं रेजीडेन्ट चिकित्सक/ संकाय सदस्य द्वारा सम्पूर्ण परीक्षण किया जाता है। उसी के आधार पर आवश्यक औषधियां तथा कंज्यूमेबल्स प्रिस्क्राइब/ परामर्शित की जाती है, जिसे वार्ड में उपलब्ध नर्स द्वारा एच0आई0एस0 के माध्यम से रेज (Raise) किया जाता है। एच0आर0एफ0 में मांग उपलब्ध होने के पश्चात् परामर्शित औषधियां एवं कंज्युमेबल्स को पैक किया जाता है तथा एच0आर0एफ0 पार्टस के माध्यम से सम्बन्धित वार्ड में उपलब्ध कराया जाता है। यद्यपि उक्त प्रकिया को त्वरित रूप से कराये जाने का प्रयास किया जाता है परन्तु पूरे संस्थान में मरीजों की भर्ती का समय तथा चिकित्सक राउण्ड का समय लगभग एक ही होता है, अतः एच0आर0एफ0 के माध्यम से काउण्टर्स की संख्या में वृद्धि करने के उपरान्त भी इस प्रक्रिया में 01 से 02 घण्टे का समय लग जाता है, जिससे रोगियों का इलाज तत्काल प्रारम्भ नही हो पाता है। इससे रोगियों को अनावश्यक रूप से पीड़ा सहनी पडती है तथा इलाज/ चिकित्सा प्रारम्भ होने में देरी भी होती है। इस समस्या के निदान हेतु यह प्रस्तावित है कि Life Saving औषधियां/ आकस्मिक औषधियां एवं अधिकतम रोगियों में इस्तेमाल होने वाली औषधियां तथा कंज्युमेबल्स वार्ड में एक Repository के रूप में उपलब्ध हों, जिससे रोगियों को परामर्श मिलने के उपरान्त तत्काल चिकित्सा प्रारम्भ कर दी जाए। इस प्रकार की व्यवस्था संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ एवं अन्य AIIMS में भी उपलब्ध है। Repository में उपलब्ध औषधियां तथा कंज्युमेबल्स के अतिरिक्त अन्य दवाइयां पूर्व की भांति एच0आर0एफ0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती रहेंगी। इससे एच0आर0एफ0 फार्मेसी पर भी दबाव कम होगा तथा अन्य दवाइयां भी अत्यन्त कम समय में वार्डों में उपलब्ध करायी जा सकेंगी। साथ ही रोगी के डिस्चार्ज (Discharge) होते समय एच0आर0एफ0 फार्मेसी में अत्यन्त कम या शून्य दवाइयां वापस करनी होंगी, जिससे रोगी का डिस्चार्ज भी कम समय में हो सकेगा। चूंकि वार्ड Repository में उपलब्ध दवाइयों का मरीज–वार बिलिंग किया जाना सम्भव नही है, अतः संस्थान में इस प्रकार से इस्तेमाल की जा रही औषधियों/ कंज्युमेबल्स की औसत संख्या निर्धारित कर निम्नानुसार औसत बिलिंग को एच0आर0एफ0 शुल्क के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है:– क्रम संख्या 1. जनरल वार्ड (कैटेगरी–1) रू0 250/– प्रतिदिन 2. जनरल वार्ड (कैटेगरी–2) रू0 400/– प्रतिदिन 3. जनरल वार्ड (कैटेगरी–3) रू0 600/– प्रतिदिन 4. एच0डी0यू0 रू0 600/– प्रतिदिन 5. आई0सी0यू0 रू0 1700/– प्रतिदिन प्रो0 (डा0) सी0एम0 सिंह निदेशक	प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए संस्थान की शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

अवगत कराना है कि उपरोक्त दरें बेड चार्जेज के अतिरिक्त लागू होंगी। सामान्य (Default) रूप से जनरल वार्ड में कैटेगरी–3 के एच0आर0एफ0 चार्जेज लागू होंगे परन्तु यदि परामर्शदाता/ संकाय सदस्य के अनुसार सम्बन्धित मरीज को अधिक औषधियों अथवा कज्युमेबल्स की आवश्यकता नही है तो वह अपनी एच0आई0एस0 आई0डी0 से रोगी के एच0आर0एफ0 शुल्क को कैटेगरी–2 अथवा कैटेगरी–1 मे परिवर्तित कर सकेंगे। यह अनुमानित है कि इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने से औसतन प्रति मरीज आदाय के कुल शुल्क में कोई वृद्धि नही होगी।

प्रस्ताव– वित्त समिति से अनुरोध है कि संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की भांति औषधियां एवं कंज्युमेबल्स Reposition के मूल्य की भरपाई हेतु प्रति बेड उपरोक्तानुसार एच0आर0एफ0 चार्जेज लागू करने की अनुमति प्रदान करना चाहें।

उक्तवत वित्त–समिति की बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुयी।

(रागिनी सिंह) वित्त अधिकारी डा.रा.म.लो.आ.सं., लखनऊ सदस्य सचिव	(प्रो0 विक्रम सिंह) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा.रा.म.लो.आ.सं., लखनऊ सदस्य	(शैलेष गिरि) वित्त नियंत्रक, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, सदस्य	(प्रो0 डा0 सी0एम0 सिंह) निदेशक, डा0 रा.म.लो.आ.सं., लखनऊ। सदस्य

14/8/2026

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ
अध्यक्ष